

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक /09/2017

// आदेश //

क्रमांक F 6-10/2014/20-तीन : राज्य शासन एतद् द्वारा छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा अनुसार राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन इलेमेन्ट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) पाठ्यक्रम में सत्र 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारण किया जाता है। शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा तब तक लागू रहेगा, जब तक कि समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारण नहीं कर दिया जाता।

निजी संस्थाओं में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिये अंतिम शुल्क (शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क) छ.ग. के एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए एक समान होगा। डी.एल.एड. सत्र 2016-17 के लिए अंतिम शुल्क रुपये 16000/- प्रतिवर्ष प्रतिछात्र अंतिम प्रवेश शुल्क होगा।

निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन इलेमेन्ट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) पाठ्यक्रम में सत्र 2017-18, 2018-19 व 2019-20 शुल्क

उच्चस्तरीय समिति के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी महाविद्यालयों को परिषद् द्वारा महाविद्यालयों को किये गये निरीक्षण व NAAC/QCS के प्रत्ययन के आधार पर दो समूह "A" - 'बहुत अच्छा' व समूह "B" - 'अच्छा' में विभाजित किया गया है।

सत्र 2017-18 में जिन नये शिक्षा महाविद्यालयों को मान्यता दी गई है उनकी मान्यता से पूर्व ही नये महाविद्यालयों का निरीक्षण कार्य सम्पन्न हो गया था। अतः इन सभी नये मान्यता प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क समूह "B" - 'अच्छा' के शुल्क के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

"A" के लिए प्रवेश शुल्क 20000/- प्रतिवर्ष प्रतिछात्र व समूह "B" के लिए 19000/- प्रतिछात्र प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थाए रुपये 1500/- प्रतिछात्र एकमुश्त काशनमनी के रूप में अवधान राशि ले सकती हैं जो वापसी योग्य है।

शुल्क हेतु अन्य निर्देश निम्नानुसार है :-

1. राज्य के विभिन्न निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का शुल्क अनुसूची I अनुसार होगा।
2. यह शुल्क सत्र 2017-18 में प्रवेश ले चुके छात्रों पर भी लागू होगा।
3. समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक शुल्क लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में शुल्क लेना कंपीटेशन शुल्क कहलायेगी एवं दोषी संस्था के ऊपर शासन के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः.....

//2//

4. संस्था द्वारा ट्रान्सपोर्ट शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क न लाभ न हानि (no profit no loss) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता से ले सकता है।
5. परीक्षा शुल्क एवं काउंसलिंग शुल्क क्रमशः छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर एवं एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर द्वारा जो निर्धारित किया गया वही लिया जाना है।
6. निजी शिक्षा महाविद्यालयों के डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिए प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित स्टाफ की नियुक्ति परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्ड के अनुरूप करना आवश्यक होगा।
7. प्रबंधन समिति को अशासकीय महाविद्यालयों के स्टाफ को राज्य के शासकीय संस्थाओं के स्टाफ के समकक्ष वेतन देना होगा।
8. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित यह अंतिम शुल्क राज्य के समस्त डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में लागू होगा। उक्त महाविद्यालय चाहे तो निर्धारित शुल्क से कम शुल्क ले सकेंगे इसमें समिति या शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्न - अनुसूची - I

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
नया रायपुर दिनांक 22/09/2017

पृ.क्रमांक F 6-10/2014/20-तीन  
प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, सचिवालय, रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर।
8. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पेंशनबाड़ा रायपुर।
9. संमस्त संबंधित शिक्षा महाविद्यालय .....  
का पालनार्थ।
10. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
11. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

6

61	ग्रियर्स कॉलेज ऑफ एज्युकेशन जामगोव अमनपुर रायपुर, छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
62	कसना धुला गरीबिहाना खुसा गरियापद छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
63	राजदरशन इंस्टीट्यूट एज्युकेशन जाधरा (विशेष) महासमुन्द्र छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
64	जीवा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन वालसी रायपाली महासमुन्द्र छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
65	शिवशक्ति इंस्टीट्यूट खोरसी जाजगीर, छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
66	गति कॉलेज ऑफ विंगनग नैनजमट नरदहा रायपुर, छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
67	कृती इंस्टीट्यूट ऑफ पीअर एज्युकेशन नरदहा रायपुर, छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
68	श्री एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन कोटखपाली रायगढ़, छत्तीसगढ़	New college-B	19000/
69	संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन ठाकुरदाली, राजनादगांव छग.	New college-B	19000/
70	श्री एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासपुर	New college-B	19000/
71	कोणार्क कॉलेज ऑफ एज्युकेशन खोखससा जाजगीर	New college-B	19000/
72	श्री दग भलेज सासगाँव रायपुर	New college-B	19000/
73	सी.आई.टी.सी. एड कॉलेज अमनपुर, रायपुर	New college-B	19000/

धारा जो इसके अतिरिक्त 19000/- काशानमनी एक बार प्रथम वर्ष में देना होगा और नामांकन परीक्षा शुल्क जो लागू होगा देना होगा।



अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग